राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1074/2011

महेश चन्द शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
3. पुलिस महानिरीक्षक, कोटा रेंज, कोटा।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 12.02.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी को ग्रेचुटी की 50 प्रतिशत राशि एवं Leave encashment की राशि का भुगतान किया जा चुका है। अपीलार्थी के विरूद्ध अभी एसीडी का प्रकरण लम्बित है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी इस स्तर पर अपील को आगे चलाना नहीं चाहता है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी प्रार्थना की है कि एसीडी के प्रकरण के निर्णय के पश्चात आवश्यक होने पर वह नये सिरे से अपील प्रस्तुत करना चाहता है।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता के कथन को दृष्टिगत रखते हुए यह अपील विड्रो किये जाने के आधार पर खारिज की जाती है एवं अपीलार्थी को यह छूट दी जाती है कि एसीडी के मामले के निस्तारण होने के पश्चात आवश्यक होने पर नये सिरे से अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)